



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032020-218680
CG-DL-E-14032020-218680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2020/फाल्गुन 22, 1941

No. 115]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2020/PHALGUNA 22, 1941

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

फा. सं. 3-24/प्रशासन/स्थापना/संशोधन/भर्ती नियम/2011/भाग-1.—भारत के राजपत्र-असाधारण भाग-III-खण्ड-4 में दिनांक 05 फरवरी, 2019 को सलाहकार-II के पद हेतु प्रकाशित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की समसंख्यक अधिसूचना (समूह 'क' 'ख' तथा 'ग' पद) (पाँचवां संशोधन) भर्ती विनियम, 2018, दिनांक 17.01.2019 में अधिसूचना की नीचे दी गई सामग्री को इस प्रकार पढ़ा जाए :-

दिए गए को	यह पढ़ा जाए
पैरा 2 की लाईन 2 में "डेटिड" (dated)	"डेट ऑफ" (date of)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्थान अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के अधिकारी (अ) (i) पैतृक कांडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी अधिकारी ; अथवा (ii) रु. 14300-18300 /रु. 14300-22400 (ऐसे अभ्यर्थी जो अकादमिक संस्थाओं में शिक्षण केंद्र में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के द्वारा वेतनमान एवं ग्रेड वेतन के साथ कार्य कर रहे हैं, को पात्र माना जाएगा, यदि वे अन्य योग्यता शर्तों को पूरा करते हों)	प्रतिनियुक्ति : केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा संस्थान अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों के अधिकारी (अ) (i) पैतृक कांडर अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी अधिकारी ; अथवा (ii) रु. 14300-18300 /रु. 14300-22400 (ऐसे अभ्यर्थी जो अकादमिक संस्थाओं में शिक्षण केंद्र में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के द्वारा वेतनमान एवं ग्रेड वेतन के साथ कार्य कर रहे हैं, को पात्र माना जाएगा, यदि वे अन्य योग्यता शर्तों को पूरा करते हों)

के वेतनमान में अपने पैतृक काडर/विभाग में नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड के वेतनमान में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो ; अथवा (iii) रु. 12000-16500/18000-18300 के वेतनमान में अपने पैतृक काडर/विभाग में छः वर्ष की सेवा; तथा (ब) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों : अर्हता : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा गणित अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा प्रबंधन व्यवहार विज्ञान सहित, वाणिज्य तथा व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र अथवा भेषजी अथवा इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी अथवा वास्तुकला और नगर आयोजना में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष। अनुभव : (ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) में शिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा शैक्षिक नियोजन अथवा प्रशासन, प्रशिक्षण आदि में पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो। टिप्पणी 1 : जिन व्यक्तियों के पास डाक्टोरल डिग्री और/अथवा प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने का प्रमाण है उन्हें वरियता दी जाएगी। 2 : नियमित सेवा में आंतरिक अभ्यर्थी जो इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्रता अपेक्षाएं पूरी करते हों वे भी इन पदों के चयन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।	के वेतनमान में अपने पैतृक काडर/विभाग में पद पर नियुक्ति के पश्चात् चार वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्रों अथवा (iii) रु. 12000-16500/18000-18300 के वेतनमान में अपने पैतृक काडर/विभाग में पद पर छः वर्ष की सेवा; तथा (ब) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों : अर्हता : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा गणित अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग अथवा प्रबंधन व्यवहार विज्ञान सहित, वाणिज्य तथा व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र अथवा भेषजी अथवा इंजीनियरी व प्रौद्योगिकी अथवा वास्तुकला और नगर आयोजना में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष। अनुभव : (ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान अथवा स्वायत्त निकाय अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी.एस.यू.) में शिक्षण अथवा अनुसंधान अथवा शैक्षिक नियोजन अथवा प्रशासन, प्रशिक्षण आदि में पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो। टिप्पणी 1 : जिन व्यक्तियों के पास डाक्टोरल डिग्री और/अथवा प्रकाशित अनुसंधान कार्य के साथ तकनीकी रिपोर्ट लिखने का प्रमाण है उन्हें वरियता दी जाएगी। 2 : नियमित सेवा में आंतरिक अभ्यर्थी जो इन विनियमों में निर्दिष्ट पात्रता अपेक्षाएं पूरी करते हों वे भी इस पद के चयन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
---	---

अधिसूचना की अन्य समस्त विषयसामग्री (कनटेंट) अपरिवर्तित रहेगी।

प्रो. राजीव कुमार, सदस्य सचिव

[विज्ञापन.-III/4/ असा./500/19]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28 February, 2020

F. No. 3-24/Admn/Estt./Amend/RRs/2011/Vol.I—In the notification of All India Council for Technical Education (Group “A” “B” and “C” Post) (5th Amendment) Recruitment Regulations, 2018 of even number dated 17.01.2019 for the post of Adviser-II published in the Gazette of India Extraordinary Part III, Section 4 on 05th February 2019, the following contents of the notifications shall be read as:

Given as	Read as
in line 2 of para 2 – “dated”	“date of”
Deputation: Officers from the Central or State Governments or Universities or Institutions of higher education or Autonomous Bodies or PSUs (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With four years service in the posts in the pay scale of rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of Rs.14300-18300/14300-	Deputation: Officers from the Central or State Governments or Universities or Institutions of higher education or Autonomous Bodies or PSUs (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With four years service in the post rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs.14300-18300/14300-22400 (The candidates

22400 <i>(The candidates working in Academic Institutions in teaching cadre having pay scales and grade pay through Career Advancement Scheme (CAS) are considered eligible, if they fulfil all other eligibility conditions)</i> in the parent cadre/department; or (iii) Six years service in the posts in the pay scale of Rs.12000-16500/18000-18300 in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience Qualifications: (i) Master Degree in any of the subjects of Science or Mathematics or Computer application or Management including Behavioural Science, Commerce and Business Economics or Economics or Pharmacy or Engineering and Technology or Architecture and Town Planning from a recognized University or equivalent; Experience: (ii) Fifteen years experience in teaching or research, educational planning or administration, training in central or state government University or other institution of higher education or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings. Note 1. Preference will be given to the persons with Doctorate Degree and/or published research work with evidence of writing technical reports. 2. Internal candidates in regular service, who fulfills the eligibility requirements, as provided in these regulations may also compete for selection to these posts.	<i>working in Academic Institutions in teaching cadre having pay scales and grade pay through Career Advancement Scheme (CAS) are considered eligible, if they fulfil all other eligibility conditions)</i> in the parent cadre/department; or (iii) Six years service in the post in pay scale of Rs.12000-16500/18000-18300 in the parent cadre/department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience Qualifications: (i) Master Degree in any of the subjects of Science or Mathematics or Computer application or Management including Behavioural Science, Commerce and Business Economics or Economics or Pharmacy or Engineering and Technology or Architecture and Town Planning from a recognized University or equivalent; Experience: (ii) Fifteen years experience in teaching or research, educational planning or administration, training in central or state government University or other institution of higher education or Autonomous Bodies or Public Sector Undertakings. Note 1. Preference will be given to the persons with Doctorate Degree and/or published research work with evidence of writing technical reports. 2. Internal candidates in regular service, who fulfills the eligibility requirements, as provided in these regulations may also compete for selection to this post.
---	--

All other contents of the notification remain unchanged.

Prof. RAJIVE KUMAR, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./500/19]